संख्या: 233 /18(1)/2006

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

राजस्व विभाग देहरादून: दिनांक 23 मार्च, 2006

विषय:-कलैक्ट्रेट रुद्रप्रयाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1538/नौ-49(2002-03) दिनांक 27-2-06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कलैक्ट्रेट रुद्रप्रयाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व में औचित्यपूर्ण पाई गई समस्त धनराशि रु0 194.14 लाख निर्गत की जा चुकी है। पुनः उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन रु0 311.09 लाख का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाये गये आगणन रु0 307.90 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अवशेष धनराशि रु0 113.76 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

3- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4- एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

..........(2)

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।

9– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो तो कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

10– उपरोक्त धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेन्डर/कुटेशन विषयक नियम एवं शासन के अन्य तद्‌विषयक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–60–अन्य भवन–051–निर्माण–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–कलैक्ट्रेट भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–148/वि0अनु0–5/2006 दिनांक 22 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री।
4– अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
7– वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
8– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 युनिट–2 श्रीनगर गढ़वाल।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।